



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062021-227979
CG-DL-E-29062021-227979

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182]
No. 182]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 29, 2021/आषाढ़ 8, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 29, 2021/ASHADHA 8, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2021

मामला संख्या: एडी (एसएसआर) - 13/2021

विषय: ईरान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित क्लियर फ्लोट ग्लास के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा।

फा. सं. 7/15/2021-डीजीटीआर.—मै. असाही इंडिया ग्लास लि., मै. गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, मै. सिसेकैम फ्लैट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा मै. सेंट-गोबेन इंडिया (प्रा.) लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे “आवेदक” अथवा “याचिकाकर्ता” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें ईरान (जिसे आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “क्लियर फ्लोट ग्लास” (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” अथवा

“विचाराधीन उत्पाद” भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने का अनुरोध किया है।

पृष्ठभूमि

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 23 दिसंबर, 2015 की जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना सं. 14/7/2015-डीजीएडी के माध्यम से 23 दिसंबर, 2015 को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच शुरू की गई थी। विस्तृत जांच के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 20 मार्च, 2017 की अपनी अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/7/2015-डीजीएडी के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशों को दिनांक 12 मई, 2017 से 5 वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचना सं. 19/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 12 मई, 2017 के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। वर्तमान शुल्क 11 मई, 2022 तक वैध है।

विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (जिसे यहां आगे “पीयूसी” भी कहा गया है) “4 मिमि. से 12 मिमि. (दोनों शामिल)” के बीच की नामिनल मोटाई के क्लियर फ्लोट ग्लास हैं, नामिनल मोटाई बीआईएस 14900:2000 के अनुसार है जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद कहा गया है”।
5. क्लियर फ्लोट ग्लास ग्लास की एक शीट होती है जो पिघली हुई धातु विशेष रूप से टिन के आधार पर फ्लोटिंग मोल्टेन ग्लास से निर्मित होती है। इस पद्धति से शीट को एक समान मोटाई मिलती है और सतह बिल्कुल समतल होती है। क्लियर फ्लोट ग्लास में सामान्य ग्लास निर्माण कच्ची सामग्रियों जिनमें विशेष रूप से रेत, सोडा ऐश (सोडियम कार्बोनेट), डोलोमाइट, चूना पत्थर, साल्ट केक (सोडियम सल्फेट) आदि शामिल होती हैं, का प्रयोग होता है। कच्ची सामग्रियों को बैच मिश्रण प्रक्रिया में मिश्रित किया जाता है और तत्पश्चात भट्टी में नियंत्रित अनुपात में उपयुक्त क्लेट (अपशिष्ट ग्लास) में मिलाकर डाला जाता है जहां इसे लगभग 1500°सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। सामान्य फ्लैट ग्लास भट्टियां 9 मी. चौड़ी, 45 मीटर लंबी होती हैं और उसमें 1200 टन से अधिक ग्लास होता है। एक बार पिघलने पर ग्लास के तापमान को लगभग 1200° सेल्सियस पर स्थिर किया जाता है ताकि एकरूप विशिष्ट गुरुत्व सुनिश्चित हो सके। संबद्ध उत्पादों को अध्याय शीर्ष 70 “ग्लास और ग्लासवेयर” के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। 8 अंकीय स्तर पर वर्गीकरण 70051090 है। यद्यपि, इन्हें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के विभिन्न उपशीर्षों जैसे 7003, 7004, 7005, 7009, 7019, 7013, 7015, 7016, 7018 और 7020 के अंतर्गत भी वर्गीकृत और आयातित किया जा रहा है। यह भी बताया गया है कि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।
6. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच के दायरे के समान है।

समान वस्तु

7. नियम 2(घ) के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

8. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु के तकनीकी विनिर्देशनों, कार्य या अंतिम प्रयोग में कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा, आवेदकों ने दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

9. यह आवेदन मै. असाही इंडिया ग्लास लि., मै. गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, मै. सिसैकैम फ्लैट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा मै. सेंट-गोबेन इंडिया (प्रा.) लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, वे भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं।
10. आवेदकों ने यह भी बताया है कि उनके अलावा भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र अन्य उत्पादक अर्थात् गुजरात गर्जियन है। तथापि, उन्होंने इस जांच का समर्थन या विरोध नहीं किया है। उपर्युक्त के मद्देनजर और जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

शामिल देश/संबद्ध देश

11. मूल जांच में संबद्ध देश ईरान था। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए संबद्ध देश मूल जांच के समान है।

पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आधार

सामान्य मूल्य

12. यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग ने ईरान के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमतों संबंधी सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया है। घरेलू उद्योग ने निर्यातकों की कीमत सूची या ईरान द्वारा अन्य देशों को निर्यात के लिए कीमत साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास भी किए थे। यह बताया गया है कि घरेलू उद्योग ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है जिसे ईरान में संबद्ध वस्तु की कारखाना द्वार कीमत या उस देश में बिक्री के लिए अथवा अन्य देशों को निर्यात के लिए निर्यातकों की कीमत सूची के संबंध में सही और पर्याप्त माना जा सके। अतः संबद्ध वस्तु के लिए ईरान में सामान्य मूल्य को प्रमुख कच्ची सामग्री अर्थात् सोडा ऐश की अंतर्राष्ट्रीय कीमत और भारत में घरेलू उत्पादन लागत और तर्कसंगत लाभ मार्जिन के अनुसार अन्य लागतों पर विचार करते हुए परिकलित किया गया है।

निर्यात कीमत

13. ईरान से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का परिकलन वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के सौदा-वार आयात आकड़ों के आधार पर किया गया है। ईरान के लिए समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक प्रभार, कमीशन/व्यापारियों का लाभ तथा गैर-वापसी योग्य वैट के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया गया है।

पाटन मार्जिन

14. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए निर्धारित पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है बल्कि काफी अधिक है। इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निर्यात कीमत से काफी अधिक है। इस प्रकार, यह पता चलता है कि ईरान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद पाटित कीमतों पर निर्यात किया जाना जारी है।

क्षति तथा कारणात्मक संबंध के जारी रहने और उसकी पुनरावृत्ति की संभावना

15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को प्रतिकूल कीमत प्रभाव अर्थात् कीमत कटौती, कीमत ह्रास, कीमत न्यूनीकरण तथा घटे हुए लाभ, नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई) और नकद प्रवाह के कारण क्षति के जारी रहने के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं। इसके अलावा, संबद्ध देश में उत्पादकों/निर्यातकों से निर्यातोन्मुख होने संबंधी आंकड़े याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए हैं जो प्रथमदृष्ट्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन तथा परिणामी क्षति की संभावना दर्शाते हैं।

निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

16. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने/उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

जांच की अवधि (पीओआई)

17. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 (12 माह) की है। क्षति जांच की अवधियों में 2017-18, 2018-19, 2019-20 और जांच की अवधि शामिल होगी। संभावना विश्लेषण के प्रयोजनार्थ जांच अवधि के बाद की अवधि पर भी विचार किया जा सकता है।

प्रक्रिया

18. इस समीक्षा में दिनांक 20.03.2017 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/07/2015-डीजएडी जिसके तहत संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी, के सभी पहलू शामिल होंगे।
19. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

20. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल adg13-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, dd12-dgtr@gov.in, ad12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
21. संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
23. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

समय सीमा

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पत्तों `adg13-dgtr@gov.in`, `adv12-dgtr@gov.in`, `dd12-dgtr@gov.in` and `ad12-dgtr@gov.in` पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसका पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
27. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
28. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
29. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि सहित); और (ख). अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि सहित) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।
30. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
31. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
32. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
33. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

34. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

35. हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वेबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं रहेगी।

असहयोग

36. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2021

Case No. AD (SSR)-13/2021

Subject: Sunset Review of Anti-Dumping Duty imposed on Imports of Clear Float Glass originating in or exported from Iran.

F. No. 7/15/2021-DGTR.—M/s Asahi India Glass Ltd., M/s Gold Plus Glass Industry Limited, M/s Sisecam Flat Glass India Private Limited, and M/s Saint-Gobain India (Pvt.) Limited (hereinafter also referred to as “Applicants”, or “Petitioners”) filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for initiation of sunset review investigation concerning imports of “Clear Float Glass” (hereinafter also referred to as the “subject goods” or the “Product under Consideration”), originating in or exported from Iran (hereinafter also referred to as “subject country”).

2. The applicants alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of subject goods, originating in or exported from subject country and consequent injury to the Domestic Industry, and have requested for review and continuation of the anti-dumping duty imposed on the subject goods, originating in or exported from subject country.

BACKGROUND

3. The original anti-dumping investigation concerning imports of subject goods from subject country was initiated on 23rd December, 2015 by the Designated Authority vide its initiation notification No.14/7/2015-DGAD dated 23rd December, 2015. Pursuant to detailed investigation, the Designated Authority recommended imposition of definitive anti-dumping duties on imports of the subject goods from the subject country vide its final findings notification no. 14/7/2015-DGAD dated 20th March, 2017. The recommendations of the Designated Authority were implemented vide Notification No. 19/2017-Customs (ADD) dated 12th May, 2017 for a period of five years with effect from 12th May, 2017. The current Anti-dumping duty is valid up to 11th May, 2022.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION

4. The product under consideration (hereinafter also referred to as “PUC”) in the present investigation is “Clear Float Glass of nominal thicknesses ranging from 4mm to 12mm (both inclusive)”, the nominal thickness

being as per BIS14900:2000 hereinafter referred to as the “subject goods” or the “Product under Consideration.”

5. Clear Float glass is a sheet of glass made by floating molten glass on a bed of molten metal, typically tin. This method gives the sheet uniform thickness and very flat surfaces. Clear float glass uses common glass-making raw materials, typically consisting of sand, soda ash (sodium carbonate), dolomite, limestone, salt cake (sodium sulfate) etc. The raw materials are mixed in a batch mixing process, then fed together with suitable cullet (waste glass), in a controlled ratio, into a furnace where it is heated to approximately 1500°C. Common flat glass furnaces are 9 m wide, 45 m long, and contain more than 1200 tons of glass. Once molten, the temperature of the glass is stabilized to approximately 1200°C to ensure a homogeneous specific gravity. The subject products are classified under Chapter Heading 70 “Glass and Glassware”. The classification at the 8-digit level is 70051090 even though the same are being classified and imported under various sub-headings like 7003, 7004, 7005, 7009, 7019, 7013, 7015, 7016, 7018 and 7020 of the Customs Tariff Act, 1975. It is also submitted that the custom classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope of the Customs Tariff Act, 1975
6. The scope of the product under consideration in the present sunset review investigation is the same as in the original investigation.

LIKE ARTICLE

7. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

8. The Applicants have submitted that subject goods which, are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. The Applicants have further claimed that there are no differences either in the technical specifications, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. In addition applicants also claimed that the two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like articles’ under the Anti-Dumping Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicants in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country.

DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

9. The application has been filed by M/s Asahi India Glass Limited, M/s Gold Plus Glass Industry Limited, M/s Sisecam Flat Glass India Private Limited and M/s Saint-Gobain India (Pvt.) Limited. The applicants have certified that it has not imported the product under consideration from the subject country. Further, they are not related to any importer of the subject goods in India.
10. The Applicants have also submitted that apart from them, there is only one other producer of the subject goods in India, namely Gujarat Guardian. However, they have neither supported nor opposed the investigation. In view of the above and after examination, the Authority notes that the Applicants constitute eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3), of the Rules supra.

COUNTRY INVOLVED /SUBJECT COUNTRY

11. The subject country in the original investigation was Iran. The present investigation being a sunset review investigation, the subject country is same as of the original investigation.

BASIS OF LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING

Normal value

12. It has been submitted that domestic industry has tried to get the information on prices of the subject goods in the domestic market of Iran. The domestic industry also made efforts to get price list of the exporters or price evidence for the export to other countries by Iran. It is submitted that the domestic industry is not in a position to get any evidence, which can be regarded as accurate & adequate either with regard to the ex-factory prices of the subject goods in Iran or price list of the exporters either for sale in that country or for exports to other countries. Therefore, the normal value in Iran for the subject goods has been constructed taking into account international price of major raw material i.e. soda ash, and other costs as per domestic cost of production in India, and reasonable profit margin.

Export Price

13. The export price for subject goods from Iran has been computed based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Price adjustments for Iran

has been claimed on account of ocean freight, inland freight, ocean insurance, bank charges, commission/trader's profit and non-refundable VAT.

Dumping Margin

14. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin determined is not only above de-minimis level but also significant. There is prima facie evidence that normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the net export price, thereby indicating that the subject goods originating in or exported from Iran have continued to be exported at dumped prices, in spite of anti-dumping duty in force.

LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY AND CASUAL LINK

15. The Authority notes that there is prima facie evidence of continuation of injury to the domestic industry on account of adverse price effect i.e price undercutting, price depression, and price suppression leading to reduced profits, return on capital employed (ROCE) and cash flows. Further, the data provided by the petitioners on the export orientation of producers/exporters in the subject country also prima facie indicates a likelihood of dumping and consequential injury on cessation of the AD duty.

INITIATION OF SUNSET REVIEW INVESTIGATION

16. On the basis of the duly substantiated application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating likelihood of continuation/recurrence of dumping of product under consideration originating in or exported from the subject country and injury to the domestic industry, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (IB) of the Rules, the Authority, hereby, initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

17. The period of investigation for the purpose of the present investigations is 1st January 2020 to 31st December 2020 (12 months). The injury investigation period shall cover the periods 2017-18, 2018-19, 2019 -20 and the period of investigation. The period after the investigation period may also be considered for the purpose of likelihood analysis.

PROCEDURE

18. The review will cover all aspects of Final Finding Notification No. 14/07/2015-DGAD dated 20.03.2017 recommending imposition of anti-dumping duty on import of subject goods originating in or exported from subject country.
19. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule shall be mutatis mutandis applicable in this review.

SUBMISSION OF INFORMATION

20. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email address adgl3-dgtr@gov.in, advl2-dgtr@gov.in, dd12-dgtr@gov.in, ad12-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
21. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
22. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
23. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

TIME LIMIT

24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adgl3-dgtr@gov.in, advl2-dgtr@gov.in, dd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. If no information is

received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

SUBMISSION OF INFORMATION ON NON-CONFIDENTIAL BASIS

26. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non- confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
27. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
28. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and /or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
29. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
30. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (2) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.
31. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
32. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

35. A list of interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic.

NON-COOPERATION

36. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority